वोटर पार्टी इंटरनेशनल
मेमोरेंडम

प्रेषक,

वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली से अपनी मांगों को रखने के लिए आये लगभग 10,000 कार्यकर्ता

दिनांक– विश्व दर्शन दिवस, 17 नवंबर 2017

सेवा में,

प्रधानमंत्री,
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

महोदय,

पार्टी के उक्त कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि के तौर पर हमारी मांगें निम्नलिखित हैं, जिन्हें यथाशीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाया जाए–

1. केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नाम वोटरशिप (मतकर्तावृत्ति) रखा जाए, जिससे भारत को पूरे विश्व में यह सिद्धांत देने के लिए सम्मान मिल सके। (यह प्रस्ताव संसद की याचिका समिति में सन 2005 से सन् 2011 तक लगातार विचाराधीन रहा है। लगभग सभी पार्टियों के 137 सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में वोटरों को वोटरशिप का अधिकार देने की याचिका प्रस्तुत की थी। 2 दिसंबर 2011 को यह प्रस्ताव मंजूर भी हो गया था किन्तु इसका क्रियान्वयन अभी तक लटका हुआ है)।
2. यूनिवर्सल बेसिक इनकम/वोटरशिप के प्रस्ताव में संशोधन करके इसको यूनिवर्सल बनाया जाए, यानी कि यह रकम सभी वोटरों को बेशर्त मिलनी चाहिए, चाहे वह अमीर हैं या गरीब। अधिक से अधिक आयकर दाताओं को इस रकम से बाहर रखा जा सकता है। यदि यह रकम यूनिवर्सल नहीं होगी तो यह रकम उन लोगों को प्राप्त होगी, जो प्रशासन को रिश्वत दे सकेंगे। अंततः गरीब लोगों को यह रकम नहीं मिल सकेगी। क्योंकि गरीब ना तो वह रिश्वत देने की स्थिति में होगा और ना ही प्रशासन तक उसकी पहुंच होगी। ब्राजील में यूनिवर्सल बेसिक इनकम भ्रष्टाचार का बड़ा कारण बना हुआ है।
3. वोटरशिप की रकम $1 प्रतिदिन हो, यह यूरोपियन सिद्धांत है, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। यह केवल एक राजा की दया है–अनाथ प्रजा पर। इसलिए यह सिद्धांत निरस्त किया जाए और वोटरशिप की रकम का सैद्धांतिक आधार बदला जाए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम/वोटरशिप की रकम का निर्धारण आगे लिखे 3 आधारों पर किया जाए।

सकल घरेलू उत्पाद में

1. **मशीनों का हिस्सा,**
2. **राज्य की मशीनरी का हिस्सा और**
3. **प्राकृतिक संसाधनों का हिस्सा।**

इन तीनों मदों से प्राप्त आय को देश के वोटरों की साझी आय के रूप में परिभाषित करने के लिए कानून बने।

4. **सकल घरेलू उत्पाद में मशीनों का जो हिस्सा है, उसका आकलन अलग से किया जाए और इस रकम पर वोटरों का बेशर्त अधिकार माना जाए और उसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम का पहला घटक माना जाये।** क्योंकि मशीन अपने मालिक को जो संपन्नता देती है, उसके बदले में वह मशीन किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को बेरोजगार और गरीब बनाती है। किसी के अधिकार वहीं तक सीमित हैं, जहां तक वह दूसरे को नुकसान ना करते हों। अधिकारों की इस परिभाषा के आधार पर मशीन की पूरी कमाई को मशीन का स्वामी नहीं रख सकता।
5. प्रकृति ने संसाधनों को देने में अमीर–गरीब के आधार पर, ज्यादा परिश्रमी और कम परिश्रमी के आधार पर या ज्यादा बौद्धिक और कम बौद्धिक के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। किंतु पढ़े–लिखे बुद्धिमान लोगों ने अपनी योग्यता को एकमात्र योग्यता मानते हुए अपने आपको देश के समस्त प्राकृतिक संसाधनों का सौ प्रतिशत स्वामी मान लिया है। यह पढ़े–लिखे लोगों लोगों द्वारा कम पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के घर में डाली गई डकैती है। डकैती की इस परंपरा को विराम देते हुए प्राकृतिक संसाधनों पर सभी वोटरों को समान हक देने का कानून बनाया जाए और सकल घरेलू उत्पाद में प्राकृतिक संसाधनों का हिस्सा अलग से आकलित किया जाए। **प्राकृतिक संसाधनों द्वारा पैदा किए गए धन में एक वोटर के हिस्से को यूनिवर्सल बेसिक इनकम का दूसरा घटक माना जाए।**
6. देश एक राजनीतिक और आर्थिक इकाई है। हर इकाई का अपना आय–व्यय होता है और हर इकाई का मूल स्वामी होता है। वोटर एक लोकतांत्रिक राज्य नाम की इकाई का मूल स्वामी है। जिस तरह से कंपनी के शेयर होल्डर मूल स्वामी होने के नाते कंपनी के सकल लाभ में हिस्सेदारी पाते हैं, उसी प्रकार देश रूपी इकाई का मूल स्वामी होने के नाते वोटरों को देश के लाभांश में हिस्सेदारी पाने का अधिकार है। किंतु इस अधिकार को न तो पहचाना गया है और ना ही इसके लिए कोई कानून बना है। इसीलिए लोकतंत्र होने के बावजूद वोटर दुर्दशा में है और प्रबंधक मजे में हैं। इस विरोधाभास को खत्म करने के लिए जरूरी है कि जिस तरह से सरकार चलाने वालों को नियमित वेतन भत्ता मिलता है, उसी तरह सरकार बनाने वालों, यानी वोटरों को नियमित वेतन भत्ता और लाभांश मिलना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद में राज्य की मशीनरी के हिस्से का आकलन अलग से किया जाए और इस हिस्से पर सभी वोटरों का समान हक माना जाए। इसलिए **राज्य की मशीनरी द्वारा पैदा धन में वोटरों के हिस्से को यूनिवर्सल बेसिक इनकम का तीसरा घटक माना जाए।** यूनिवर्सल बेसिक इनकम को गरीबों के बजाय वोटरों से जोड़ा जाए, जिससे भारत लोकतंत्र को एक नया अर्थ दे सके और आने वाले समय में पूरा संसार लोकतंत्र के इस नए अर्थ को अपनाकर सुखी और समृद्ध हो सके।
6. उत्तराधिकार का सीमांकन किया जाए, जिससे परिश्रम और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिले और बिना काम के व बिना परीक्षा के केवल कानून की ताकत से देश के किसी भी नागरिक को अरबपति और खरबपति न बनाया जाए। पार्टी का प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद केवल 20% संपत्ति ही उसके बच्चों को प्राप्त हो। बाकी 80% सम्पत्ति राज्य के पास वापस जानी चाहिए। देश के अधितर नौकरशाह और नेता आज असीमित धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराधिकार में बच्चों को डिग्रियों का और पदों का स्थानांतरण कानून नहीं है। निष्ठावान और परिश्रमी डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाया जाता, इंजीनियर के बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाया जाता, सांसदों/विधायकों के बच्चों को सांसद/विधायक नहीं बनाया जाता। ये सभी पद और योग्यताएं उनके बच्चों को मेहनत और परीक्षा के बाद ही प्राप्त होती हैं। लेकिन उत्तराधिकार कानून से अरबपति और खरबपतियों के बच्चों को अरबपति और खरबपति बनाया जाता है। इसलिए सरकारी कर्मचारी, नेता और नौकरशाह देश के लिए

और समाज के लिए ईमानदारी से परिश्रम करने की बजाय भ्रष्टाचार करके अपने बच्चों को अधिक से अधिक धन देने की नीयत से कार्य कर रहे होते हैं।

7. राज्य, सरकार, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, नागरिकता, संप्रभुता और सत्ता के पृथक्करण का जो सिद्धांत 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपियन विद्वानों द्वारा तैयार किया गया था, उसमें दोष था और उसी दोष के कारण आज जो लोग चौथाई विश्व या आधे विश्व या पूरे विश्व स्तर की राष्ट्रीयता अपने दिल में महसूस करते हैं और अपने देश से भी बड़े क्षेत्र से उन्हें अनायास प्रेम महसूस होता है, उन लोगों को अपना राष्ट्र, अपनी सरकार, अपनी संसद और अपनी पुलिस नसीब नहीं हो पा रही है। इसलिए श्री भरत गांधी द्वारा राजनीति शास्त्र के उक्त मौलिक तत्वों पर बनाई गई नई न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की परिभाषा के आधार पर राज्य का नया ताना–बाना तैयार किया जाए और यह नया ताना–बाना तैयार करने के लिए विदेश मंत्रालय के अधीन श्री भरत गांधी की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया जाए। इससे दक्षिण एशियाई शासन–प्रशासन, अर्द्ध वैश्विक शासन–प्रशासन और संपूर्ण वैश्विक शासन–प्रशासन कायम किया जा सकेगा और भारत की जनता के सामने और दुनिया के तमाम देशों की अरबों जनसंख्या के सामने जो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है, उसे टाला जा सकेगा। इससे देशों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण जो गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक गुलामी, भ्रष्टाचार, जमाखोरी, महंगाई और आतंकवाद जैसी तमाम अंतरराष्ट्रीय समस्याएं पैदा हो गयी हैं, उन पर पर लगाम लगाई जा सकेगी। ऐसा करने से भारत को विश्व में सम्मान मिलेगा और यह मिथक टूट जाएगा कि राज्य के ढांचे के बारे में चिंतक केवल यूरोप में ही पैदा होते रहे हैं। विश्व दर्शन दिवस के अवसर पर यह विशेष मांग है कि श्री भरत गांधी द्वारा तैयार प्रगति और शांति पर विश्वव्यापी समझौता (Global Agreement on Peace and Progress-GAPP) नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर विश्व जनमत बनाने के लिए भारत सरकार के अधीन एक अलग मंत्रालय बनाकर विश्व दर्शन को राजनीतिक दर्शन में जगह दी जाए।